"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2013—माघ 12, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2013

क्रमांक ई-1-11/2012/1/2.— भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2000 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2013 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियमं 3(1)(3) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि (1-1-2013) से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 8700) में पदोन्नत किया जाकर वर्तमान पदस्थापना स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)
1.	श्री एस. के. जायसवाल (2000)	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर
2.	श्री जेवियर तिग्गा (2000)	विशेष सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग एवं विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

(1)	(2)	(3)
3.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल (2000)	कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव
4.	श्री डी. डी. सिंह (2000)	संचालक, उद्यानिकी, रायपुर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग.
5.	श्री एस. आर. ब्राहम्णे (2000)	संचालक, समाज कल्याण
6.	श्री टी. सी. महावर (2000)	कलेक्टर, जिला-मुंगेली
7.	श्री एन. के. खाखा (2000)	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छ.ग. रायपुर.
8.	श्री रामसिंह ठाकुर (2000)	कलेक्टर, जिला-बिलासपुर

2. सरल क्र. 1, 4 एवं 7 पर दर्शित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत उनके नाम से सम्मुख दर्शाये असंवर्गीय पदों को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 11030/22/2007-एआईएस-II, दिनांक 9-7-2012 द्वारा वर्ष 2013 के लिये प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति हेतु 13 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

क्रमांक 1321/694/2012/1-8/स्था.— श्री विजय कुमार चौधरी, स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, जनसंपर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 12-11-2012 से 16-11-2012 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 10 एवं 11-11-2012 तथा 17 एवं 18-11-2012 के शासकीय आवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौधरी, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, जनसंपर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग के स्टॉफ ऑफिसर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्रमांक 1387/718/2012/1-8/स्था.— श्री एस. सी. श्रीमाल, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 15-11-2012 से 07-12-2012 तक कुल 23 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 08-12-2012 एवं 09-12-2012 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीमाल आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री श्रीमाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीमाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्रमांक 1389/791/2012/1-8/स्था.— श्री भगवान सिंह कुशवाह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) को दिनांक 26-11-2012 से 07-12-2012 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुशवाह आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुशवाह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुशवाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

क्रमांक 1393/730/अव./2012/1-8/स्था.— श्री अरूण कुमार चांदे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 10-12-2012 से 14-12-2012 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 15 एवं 16-12-2012 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चांदे आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चांदे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चांदे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2013

क्रमांक ई 7-10/2012/1/2.— डॉ. संजय अलंग, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर को दिनांक 26-12-12 से 02-01-2013 तक (8 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही, दिनांक 25 दिसम्बर 2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अलंग आगामी आदेश तक सचिव, छ.ग. लोक आयोग, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. अलंग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अलंग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2013

क्रमांक/05/1407/दो गृह/भापुसे/2012.—श्री अंकित गर्ग, भा.पु.से., सहा. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 24-12-2012 से दिनांक 29-12-2012 (06 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23, 30-12-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग आगामी आदेश तक सहा. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अंकित गर्ग को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्रमांक/14/1437/दो गृह/भापुसे/2012.—श्री टी. जे. लॉगकुमेर, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, छ.स. बल/नक्स. अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 24-12-2012 से दिनांक 11-01-2013 (19 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23 दिसम्बर 2012, 12 एवं 13 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लॉगकुमेर आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, छ.स. बल/नक्स. अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री लॉगकुमेर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. श्री टी. जे. लॉगकुमेर, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, छ.स. बल/नक्स. अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, छ.स. बल/नक्स. अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर का प्रभार श्री अरूण देव गौतम, पुलिस महानिरीक्षक, छस बल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. जे. लॉगकुमेर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

FINANCE & PLANNING DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

Raipur, the 14th January 2013

No. 13/F-1004487/Finance/Rules/IV/2012.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the

Chhattisgarh Treasury Code, namely :—

AMENDMENT

In Volume I of the said Code, relating to the Chhattisgarh Treasury Rules, 1955—

1. In subsidiary rule 147 of Chapter IV of Part II, for the words "three months after the month of issue" the words "three months from the date of issue" shall be substituted.

2. In subsidiary rule 206 of Chapter IV of Part II,—

(i) For sub-rule (1) of rule 206, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Bills for monthly pay and fixed allowances of Government servant shall be due for payment on the last working day of the month to which they relate, however, the pay and allowances for the month of March shall be paid on the first working day of April."

(ii) In Explanation of sub rule (2) of rule 206 after the word "Explanation" the Figure "(1)" shall be inserted.

(iii) After Clause (1) to Explanation of sub-rule (2,) the following shall be added, namely :—

"(2) For the purpose of this rule, "Working day" shall be deemed to be a day on which the office in which the disbursement is to be made and the Treasury/Bank are both open for transaction of their respective ordinary business so that withdrawal of money and disbursement thereof become practicable on the same day."

3. For subsidiary rule 360 of Chapter IV of Part II, the following shall be substituted, namely :—

"360. Pensions fixed at monthly rates are payable monthly on or after the last working day of the month to which they relate except in the case of pension for the month of March which shall be paid on or after the first working day of the succeeding month :

Provided that when there is a variation in the rate of pension consequent upon the disbursement of the commuted value of a portion thereof, pension for the broken part of the month at the original rate may be paid before the end of the month.

Explanation :— For the purpose of this rule, the term "working day" shall have the same meaning as given to it in Clause (2) of Explanation to sub-rule (2) of rule 206."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. CHAKRABORTY, Deputy Secretary.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE
(Live Stock Development)
Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

Raipur, the 4th January 2013

No. AGRI. F 8-103/35/09/2012/04.—In partial modification of earlier letter No. 381/F 8-103/35/IDDP/2012 Dated 9 April, 2012 the Governor of Chhattisgarh is pleased to constitute a "Technical Management Committee (TMC)" to constantly monitor the implementation of Intensive Dairy Development Programme (IDDP) Project-IV in the State of Chhattisgarh and for according administrative approval for implementation of scheme with the following members:

1. Principal Secretary, Agriculture and Agriculture Production Commissioner, Govenment of Chhattisgarh-Chairman.

2. Principal Secretary/Secretary, Finance, Government of Chhattisgarh or their representative.

3. Representative of State Planning Board, Government of Chhattisgarh.

4. Director, Veterinary Service, Government of Chhattisgarh their representative.

5. Commissioner, Dairy Development or their representative.

6. Representative from Planning Commission, Government of India.

7. Representative from Department Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Government of India.

8. Managing Director, Raipur Sahakari Dugdh Utpadak Sangh Ltd. Raipur-Member Secretary.

Five (05) officers of the above committee may constitute quorum of the Technical Management Committee (TMC)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. K. DAVE, Deputy Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बालयरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बायलर क्र.	छूट की समयावधि
1.	M.P./3555	दिनांक 23-11-12 से 22-05-13 तक अर्थात् 06 माह
2.	M.P./3656	दिनांक 22-12-12 से 21-01-13 तक अर्थात् 01 माह
3.	M.P./3216	दिनांक 13-11-12 से 12-01-13 तक अर्थात् 02 माह
4.	M.P./3198	दिनांक 16-12-12 से 15-03-13 तक अर्थात् 03 माह

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2013

क्रमांक-एफ 7-49/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए टुण्डरा निवेश क्षेत्र, जिला बलौदाबाजार का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

टुण्डरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बलौदा, गिधौरी, धटमडुवा एवं कुम्हारी की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कुम्हारी, अमलीडीह एवं कोरकोटी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कोरकोटी, खपराडीह, नरधा एवं मटिया ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम मटिया, हसुवा एवं बलौदा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंडीउपरोड़ा	गुडरूमुड़ा	5.123	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा (छ.ग.).	रामपुर जलाशय योजना में डूबान कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, पोंडीउपरोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्रमांक 88/अ.भू.-अ.प्र./08/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-मलपुरीखुर्द, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.86 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	31	0.03
	36	2.69
	37	0.17
	56/2	0.17
	81	1.40
	89	0.07
	90	1.13
	136	0.90
	146	0.44
	152	0.86
योग	10	7.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्रमांक 89/अ.भू.-अ.प्र./09/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-खासाडीह, प.ह.नं. 36/29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
29/1	0.71
36/1	0.37
36/2	0.38
36/3	0.39
56/4	0.50
56/5	0.50
76/3	0.54
76/4	0.40
76/5	0.40
76/6	0.20
76/7	0.40
45	0.40
46	0.20
51	0.30
52	0.27
53	0.92
54	0.80
59	0.32
151	0.91
154	0.80
155	0.15
156	0.15
157	0.13
174/2	0,03

	(1)	(2)
	174/5	0.20
योग	25	10.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्रमांक/10013/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बेलरगोंदी, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.100 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1275/2	0.036
	1276	0.101
	1277	0.057
	1275/1	0.008
	1280	0.012
	1283/1	0.004
	1284	0.016
	1283/2	0.008
	1306	0.040
	1307	0.109
	1303/2	0.049
	1303/3	0.016
	1303/1	0.016
	1300	0.036
	1301	0.024
	1302	0.032
	1294/1	0.016
	1294/2	0.045
	1294/3	0.045
	1296	0.004
	1223	0.049
	1281	0.045
	1279/1	0.028
	1279/3	0.077
	1324	0.085
	1279/2	0.028
	1325	0.049
	1328/1	0.061
	1285	0.004
योग	29	1.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के माइनर नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्रमांक/10014/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अं. चौकी
(ग) नगर/ग्राम-खड़खड़ी, प.ह.नं. 03
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.251 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	159/1	0.244
	159/3	0.202
	159/4	0.809
	161/1	0.304
	161/2	0.284
	307/3	0.133
	379/3	0.445
	436/1	0.425
	137/9	0.405
योग	9	3.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्रमांक/10015/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अं. चौकी
(ग) नगर/ग्राम-दानीटोला, प.ह.नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.545 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	43/2	0.809
	44	0.134
	47/1	1.214
	51/1, 51/2	3.186
	54	0.898
	39/4	0.162
	43/1	0.737
	47/2	0.405
योग	8	7.545

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्रमांक/10016/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अं. चौकी
(ग) नगर/ग्राम-सांगली, प.ह.नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	26/1	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्रमांक/10017/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-खुरसीटिकुर, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.274 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	28/1	0.126
	28/2	0.008
	27	0.085
	26	0.065
	25	0.057
	24/4	0.024
	121/1	0.045
	69/4	0.121
	69/5	0.004
	71	0.079
	112/6	0.052
	112/7	0.052
	113/1	0.008
	121/2	0.032
	121/3	0.036
	122/1	0.052
	123	0.087
	132/1	0.188
	126/2	0.068
	134/2	0.052
	134/12	0.033
योग	21	1.274

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत खुरसीटिकुर माइनर के लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्रमांक/80/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-मोंगरा, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.216 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
503/3	0.166

	(1)	(2)
	216/2	01 पक्का कुआं
	499/1	01 पक्का कुआं
	443/7	0.050
योग	4	0.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्रमांक/81/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-परसाटोला, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.860 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	36/2	0.065
	37/1	0.061
	37/2	0.052
	37/3	0.016
	38	0.077
	39/4	0.004
	39/5	0.077
	41	0.049
	65	0.008
	52/8	0.081
	42	0.073
	52/1	0.081
	43/3	0.113
	67	0.121
	66/1	0.018
	66/4	0.146
	84	0.097
	83/3	0.004
	83/4	0.017
	89/1	0.040
	90/1	0.032
	55/2	0.057
	55/3	0.016
	55/4	0.032
	55/7	0.004
	55/8	0.040
	55/9	0.004
	55/10	0.004
	55/1	0.004
	54	0.130
	62	0.057
	63	0.025
	86	0.210
	85/2	0.049
	85/3	0.065
	88/4	0.138
	147/1	0.130
	165	0.024
	168	0.057
	169/1	0.085
	164/1	0.049
	61/1	0.032
	61/2	0.056
	147	0.287
	164/1	0.073
योग	45	2.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत परसाटोला माइनर के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक/91/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-गहिराभेड़ी, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.805 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	473/2	0.081
	483/2	0.081
	464	0.061
	463/3	0.089
	613/1	0.130
	541/2	0.121
	391/1	0.081
	459/4	0.040
	503	0.121
योग	9	0.805

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहिराभेड़ी जलाशय के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक/92/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पांगरीकला, प.ह.नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.482 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	76/1	0.482
योग	1	0.482

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सांकरदाहरा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक/93/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-हटोईटोला, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.781 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12/5	0.142
21/2	0.543

	(1)	(2)
	24/4/1	0.603
	24/18	0.340
	12/9	0.142
	12/10	0.271
	12/3/1	0.271
	24/16	0.222
	21/5	0.542
	24/17	0.149
	23/1	0.162
	24/5	0.332
	24/11	0.453
	8/13	0.162
	25/2	0.186
	23/2	0.648
	23/4	0.162
	23/3	0.162
	24/12	0.289
योग	19	5.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोलियारी जलाशय के अन्तर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक/94/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-खोराटोला, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.001 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	82	0.348
	131/2	0.688
	131/1	0.809
	83	0.740
	124/1ख	1.012
	81/6	0.202
	81/4	0.202
योग	7	4.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोलियारी जलाशय के अन्तर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक/95/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरीपथरा, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.674 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/4	0.032
1/2	0.049
75/6	0.101
75/1	0.049

	(1)	(2)
	83	0.161
	85	0.121
	87	0.161
योग	7	0.674

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहिराभेड़ी जलाशय के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक/96/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-कोलियारी, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.021 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	345/2	0.077
	345/5	0.077
	345/3	0.077
	345/4	0.024
	345/1	0.077
	348/1	0.300
	346	0.161
	344/2	0.167
	336/4	0.061
योग	9	1.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोलियारी जलाशय के बांधपार निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक/97/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बैरागीभेड़ी, प.ह.नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.450 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
607/2	0.324
589/1	0.607
577/2	0.292
625/2	0.389
589/7	0.141
600	0.081
589/2	0.068
601/1	0.130
589/5	0.324
577/1	0.365
578/2	0.567

	(1)	(2)
	599	0.162
योग	12	3.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहिराभेड़ी जलाशय के अन्तर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक/98/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-शिकारीमहका, प.ह.नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.425 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	832/2	0.425
योग	1	0.425

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिकारीमहका जलाशय के अन्तर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्रमांक/जी 8/भा.अधि./2012-13/6805.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री जे. एम. विग, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, रायगढ़ को कृषि उपज मण्डी समिति, खरसिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

उपसंचालक कृषि रायगढ़ के पत्र क्रमांक/स-1-ब/2012-13/6868/रायगढ़ दिनांक 28-12-12 द्वारा श्री टी. पी. गुप्ता, अनुविभागीय कृषि अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति, खरसिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री जे. एम. विग, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, रायगढ़ का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री टी. पी. गुप्ता अनुविभागीय कृषि अधिकारी को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, खरसिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक 03.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती है :—

मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना :—

(अ) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना—

(i) यह योजना "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना" कहलाएगी.

(ii) यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगी.

(iii) यह योजना भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22(1) सहपठित छत्तीसगढ़ नियम, 2008 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2012 से लागू होगी.

(iv) यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय-पत्र धारी है.

(ब) परिभाषाएं— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(i) "अधिनियम" से आशय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत है.

(ii) "बोर्ड" से आशय धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है.

(iii) "सचिव" से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है.

(iv) "दुर्घटना" से तात्पर्य कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते-जाते समय अथवा अन्य किसी भी रूप में हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से है.

(v) "आश्रित" से आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार, आश्रित माना जावेगा—
पत्नी अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
अवयस्क पुत्र
अविवाहित पुत्री
पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे
आश्रित माता-पिता

(vi) "परिवार" से आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, आश्रित माता-पिता और मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे सम्मिलित माने जाएंगे.

(vii) "नामिति" अथवा "नामिति" से आशय हिताधकारी निर्माण श्रमिक द्वारा छत्तीसगढ़ नियम, 2009 के नियम 44(4) के अंतर्गत नाम निर्देशित किए गए नामिति से है.

(viii) निगम से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम से है.

(ix) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना-मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रवर्तित जनश्री बीमा योजना से है और इसमें निगम द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधन भी शामिल है.

परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वहन-उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित है.

(स) योजना का विवरण—

(i) निर्माण श्रमिकों को धारा 22(1) सहपठित राज्य नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे केवल निगम कहा जावेगा) के सहयोग से मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए जीवन बीमा द्वारा निर्धारित समस्त अनुलाभों सहित प्रभावशील होगी.

(ii) **पात्रता :—**

(1) 18 से 59 वर्ष की आयु समूह के निर्माणी श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे.
(2) हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों का इस योजना के अंतर्गत बीमा हो सकेगा.
(3) समूह की पात्रता और अधिसूचना जीवन बीमा निगम द्वारा नोडल एजेंसी अर्थात् बोर्ड की सलाह से निर्धारित की जाएगी.
(4) बोर्ड द्वारा हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों, जिनका धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होगा, के लिए यह योजना प्रवर्तित होगी.

(iii) **हितलाभ :—**

(1) सदस्य की सामान्य मृत्यु पर रुपये 30,000/-
(2) दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 75,000/-
(3) दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रुपये 75,000/-
(4) दुर्घटना में एक अंग या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रुपये 37,500/- का लाभ श्रमिक/आश्रित को दिया जाएगा.

1. हिताधिकारी जब स्वयं को क्षति पहुंचाये, आत्महत्या (स्वघात) हो एवं अत्यधिक शराब के सेवन करने से मृत्यु होने पर,
2. पर्वतारोहण करते हुए, शिकार करते हुए, दंगा करते हुए, युद्ध करते हुए, (अघोषित युद्ध) हुल्लड़ करते हुए, (क्रमांक 1 एवं 2 की दशा में मृत्यु पर दुर्घटना मृत्यु का लाभ नहीं मिलेगा अपितु सामान्य मृत्यु पर योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा.)

(iv) प्रीमियम राशि-प्रत्येक सदस्य के लिए रुपये 200/- वार्षिक प्रीमियम होगा जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात् 100 जीवन बीमा निगम द्वारा वहन की जावेगी.

(v) नोडल एजेंसी-हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के संबंध में बोर्ड नोडल एजेंसी होगा तथा बोर्ड एवं जीवन बीमा निगम द्वारा सभी परिचय-पत्र धारी श्रमिकों की ओर से बीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जावेंगी.

(द) दावा कार्य प्रणाली—

(i) बीमित मृत सदस्य के नामिति या आश्रित को मृत्यु प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अन्य विवरण सहित प्रपत्र-एक में नोडल एजेंसी (जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी) को देनी होगी. नोडल एजेंसी द्वारा दावा फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा में भेजते हुए बोर्ड को अवगत करायेगा तथा भारतीय जीवन निगम द्वारा दावे का निपटारा एकाउण्ट पेयी चेक बोर्ड के नाम से जारी कर किया जावेगा. दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में उपयुक्त विवेचना तथा प्रमाणिकता साबित होने पर बोर्ड द्वारा बीमित अथवा आश्रित या नामिति को देय दावा राशि के अधिकतम 50 प्रतिशत राशि का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से किया जा सकेगा शेष दावा राशि का भुगतान बीमित या नामित को, निगम से दावे का भुगतान प्राप्त होने पर किया जावेगा.

(ii) **श्रम विभाग के जिला कार्यालय में बीमित सदस्यों से दावा प्रार्थना पत्र और शिक्षा सहयोग योजना के आवेदन प्राप्त करने, उनकी जांच करने और दावा राशि का भुगतान संबंधित को करने के लिए बोर्ड की ओर से अधिकृत एजेंसी होंगे. बोर्ड द्वारा अन्य किसी विभाग के कार्यालयों को अधिकृत एजेंसी बनाया जा सकेगा.**

(द) **अन्य लाभ** — शिक्षा सहयोग का लाभ-मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना के धारकों को दो बच्चों तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए 100/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जावेगी. शिक्षा सहयोग योजनान्तर्गत हिताधिकारी को अथवा नोडल एजेंसी (बोर्ड) का कोई पृथक, प्रीमियम नहीं होगा.

(ई) **मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना की प्रक्रिया**— बोर्ड द्वारा प्रदेश में पंजीबद्ध किए गए निर्माण श्रमिकों की सूची, जिसमें निर्माण श्रमिकों का नाम, आयु तथा उनके नामांकितों (आश्रितों) का पता सम्मिलित होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम को समूह के निर्माण श्रमिकों को जनश्री बीमा योजना की परिधि में लाने के लिए उपलब्ध करायी जावेगी तथा निर्माण श्रमिकों के मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना हेतु 100/- प्रति सदस्य प्रीमियम बोर्ड द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अदा किया जाएगा.

(फ) **विसंगति का निराकरण**— योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

यह अधिसूचना दिनांक 11-04-2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/2012/04.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना द्वारा संचालित बाल श्रम शालाओं में अध्ययनरत् बच्चों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती है :—

बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना, 2010" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत बालश्रम शालाओं में अध्ययनरत् बच्चों को प्रतिवर्ष गणवेश, स्कूल बैग, जूता-मोजा, बेल्ट-टाई एवं परिचय-पत्र वितरण हेतु प्रति बच्चे के मान से रुपये 1,000/- का आवंटन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा जिला कलेक्टर को किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) इस योजना का लाभ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बाल श्रम शालाओं में अध्ययनरत् बच्चे जो प्रदेश के किसी भी जिले में हो, को प्रदाय किया जावेगा.

(स) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) परियोजना वाले जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं बाल श्रम परियोजना के परियोजना संचालक के अनुमोदन पर योजना का लाभ दिया जावेगा. योजना का पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर एवं परियोजना संचालक करेंगे.

(द) **योजना हेतु सामग्री क्रय करने हेतु क्रय समिति :—** क्रय समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे :—

(i) कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि,

(ii) बाल श्रम परियोजना के परियोजना संचालक,

(iii) स्थानीय श्रम अधिकारी,

(iv) कलेक्टर द्वारा नामांकित एक शासकीय अधिकारी

(य) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

टीप :— यह अधिसूचना दिनांक 10-11-2010 से भूतलक्षीय प्रभाव से लागू होगा.

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/2012/05.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

गंभीर बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के परिधि में नहीं आने वाले निर्माणी श्रमिकों के बीमारियों के लिए गंभीर बीमारियों हेतु चिकित्सा सहायता योजना, 2011" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदत्त रुपये 30,000/- से अधिक व्यय होने पर रुपये 50,000/- तक चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुए वास्तविक व्यय जो कम हो प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

(iv) योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिसूचित है.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक है.

(स) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(द) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा.

टीप :— यह अधिसूचना दिनांक 11-01-2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से लागू होगा.

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक 06.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ. ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-21/2011/16, रायपुर, दिनांक 11-01-2012 में हितग्राहियों के लिए गंभीर बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंत:स्थापित करती है :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् प्रदत्त चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त रुपये 20,000/- तक गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना.

(IV) योजना में गंभीर बीमारी से तात्पर्य किडनी रोग, सिकलीन, (सिकलसेल एनीमिया) हृदय रोग, एड्स, लकवा रोड, केंसर एवं टीवी.

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 3-7-2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/2012/07.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना : -

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना, 2011" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है.

(स) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(द) अन्य विवरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा.

टीप :— यह अधिसूचना दिनांक 11-01-2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से लागू होगा.

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक 08.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ. ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-20/2011/16, रायपुर, दिनांक 11-01-2012 में हितग्राहियों के लिए दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंत:स्थापित करती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हिताधिकारियों को दुर्घटना में हुए इलाज के लिए होने वाले व्यय के रूप में मण्डल द्वारा चिकित्सा सहायता राशि रुपये 20,000/- अथवा ईलाज में हुए वास्तविक व्यय जो कम हो संबंधित अस्पताल को प्रदाय किया जावेगा.

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 3-7-2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्रमांक 09.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती हैं :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर, कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना".

(ii) योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित ट्रेड का प्रशिक्षण यथा राजमिस्त्री, प्लंबर, पेंटर, पीओपी, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, एसी रेफ्रिजरेशन, कारपेन्टर इत्यादि तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, मोबाईल रिपेयरिंग, ब्यूटीशियन, ड्राईविंग, आटोमोबाईल, सुरक्षा गार्ड एवं समय-समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत हितग्राहियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अनुरूप प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी. (पूर्व में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-33/2010/16, रायपुर, दिनांक 29-11-2010 द्वारा अधिसूचित मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना को भी इस योजना में शामिल किया जाता है.)

(iv) **योजना का स्वरूप**

(अ) पंजीकृत निर्माण मजदूर के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण.

(ब) पंजीकृत निर्माण मजदूरों जिस ट्रेड में कार्य करते हैं, उसका प्रमाण पत्र प्रदाय करना. (Direct Certification)

(स) पंजीकृत निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्यों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करना.
(परिवार से तात्पर्य पंजीकृत श्रमिक के पत्नि/पति एवं बच्चे)

(द) ट्रेड वाईज आवश्यकतानुसार अंग्रेजी का प्रशिक्षण आवश्यक होगा.

(v) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा.

(ii) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(iii) योजना हेतु आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर मे आवेदन करना होगा.

(ii) निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्य की स्थिति में सदस्य एवं पंजीकृत श्रमिक दोनों के हस्ताक्षर होंगे.

(iii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iv) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा.

(द) योजना हेतु व्यय :—

(i) प्रशिक्षण के दौरान पंजीकृत श्रमिकों को छात्रवृत्ति (जो उपस्थिति के आधार पर अकुशल श्रमिक को देय न्यूनतम वेतन के बराबर होगा) एवं प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा. यह लाभ पंजीकृत श्रमिकों को देय होगा, न कि परिवार के सदस्यों को.

प्रशिक्षण के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का दर मण्डल द्वारा निर्धारित किया जावेगा. भविष्य में केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा प्रशिक्षण योजना हेतु अनुदान प्रदाय किया जाता है तो उसका समायोजन किया जावेगा.

(इ) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा.

(फ) विसंगति का निराकरण :—

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 07-09-2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक 10.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "गरीबी रेखा से ऊपर के निर्माणी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, 2010" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा जो बीपीएल कार्डधारी नहीं होंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् प्रतिवर्ष रुपये 30,000/- चिकित्सा सहायता, परिवार के मुखिया, उसकी पत्नि एवं 03 संतान को प्रदाय करने हेतु स्मार्ट कार्ड प्रदाय किया जावेगा.

उल्लेखित चिकित्सा लाभ से तात्पर्य प्राथमिक उपचार छोड़कर समस्त उपचार होंगे.

(iii) एपीएल के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर होने वाला व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा.

(iv) योजना के प्रावधान दिनांक 17-09-2010 से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है.

(ii) गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) का कार्डधारी न हो.

(स) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/उप संचालक एवं सहायक उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(द) (i) प्रदेश में बीपीएल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग है. अतः एपीएल निर्माणी श्रमिकों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग ही होगा.

(ii) बीपीएल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिस बीमा कंपनी को प्रति व्यक्ति के मान से अनुबंधित किया जावेगा वही एपीएल निर्माणी श्रमिकों के लिए भी मान्य होगा.

(य) अन्य विवरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 29-11-2010 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक 12.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ. ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, रायपुर, दिनांक 25-11-2010 में हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, रायपुर, दिनांक 25-11-2010 मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :—

मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना :—

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(ii) "पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष आयु समूह की हो.

मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना :—

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 26 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह की हो.

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 3-7-2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक 13.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ. ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, रायपुर, दिनांक 01-10-2010 में हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंत:स्थापित करती है :—

मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना :—

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह की हो.

स्वीकृति का अधिकार :—

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति किया जावेगा.

(ii) विलोपित

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 25-11-2010 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक 14.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती है :—

(1) सामूहिक विवाह योजना :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार विवाह हेतु सहायता योजना 2010 होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत रुपये 5,000/- प्रति विवाह सहायता एवं इसके अतिरिक्त रुपये 2,000/- सामूहिक विवाह के आयोजकों को प्रति विवाह अलग से देय होगी.

(iii) अन्य किन्हीं भी योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाले विवाह सहायता के अतिरिक्त यह सहायता उपलब्ध कराई जावेगी अर्थात् किसी अन्य योजना का लाभ लेने पर भी इस योजना का लाभ हितग्राही द्वारा लिया जा सकेगा.

(iv) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) यह योजना महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह अथवा निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिए लागू होगी.

(ii) पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह/एकल विवाह के आयोजन की दशा में लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) आवेदिका को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन करना होगा.

(ii) आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदिका महिला श्रमिक के स्वयं अथवा निर्माण श्रमिक की पुत्री के स्वयं का होना चाहिए. निर्माण श्रमिक (पिता/माता) का नहीं.

(iii) महिला श्रमिक स्वयं आवेदिका होने पर स्वयं का अथवा आवेदिका हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के परिचय पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करना होगा.

(iv) निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा. सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव को होगा.

(ई) भुगतान की प्रक्रिया :—

(i) सामूहिक विवाह के आयोजन की प्रतीक्षा किये बिना पात्र पाए जाने पर स्वीकृति-पत्र जारी करते हुए, स्वीकृति-पत्र में स्पष्ट किया जाए के रुपये पांच हजार एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन के दिन आवेदिका को प्रदान किए जाएंगे.

(ii) सामूहिक विवाह के आयोजकों को भी आयोजन की व्यवस्था करने के लिए एक हजार रुपये प्रति विवाह की दर से राशि स्वीकृति कर एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा आयोजक को भुगतान किया जाएगा.

(iii) एक विवाह की पुष्टि होने की दशा में भी पांच हजार रुपये की राशि एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा आवेदिका को देय होगी.

(फ) अन्य विवरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

(2) प्रसूति सहायता योजना :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार प्रसूति योजना 2010 होगा.

(ii) यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरुष हिताधिकारी पंजीबद्ध हो एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार हिताधिकारी परिचय-पत्र धारी हो.

(iii) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा. जिसके अनुसार छह सप्ताह के प्रसूति अवकाश एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में रुपये 5,000/- की सहायता देय होगी. प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त न होने की दशा में मण्डल द्वारा रुपये 5,000/- के अतिरिक्त रुपये 1,000/- और देय होगा.

(iv) प्रसूति सहायता योजना अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी.

(v) प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र/पुत्री एक से अधिक होने पर बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैद्य उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा.

(vi) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) निर्माण श्रमिक चाहे पुरुष हो या स्त्री, पति या पत्नि में से कोई भी निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन है तो उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा.

(ii) किन्तु सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा.

(iii) ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की निधि से मासिक अभिदाय जमा करने की चूक करते हैं उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा.

(ii) आवेदन करने पर आवेदन पत्र की जांच उपरांत पात्र पाये जाने की स्थिति में संबंधित कार्यालय द्वारा इसे अनुशंसा सहित मण्डल को जावेगा.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा. सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव को होगा.

(ई) भुगतान की प्रक्रिया :—

(i) प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को उपरोक्तानुसार राशि की स्वीकृति प्रदान करते हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा एक मुश्त राशि एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से संबंधित श्रम कार्यालय को आवेदक को भुगतान हेतु प्रेषित किया जावेगा.

(ii) आवेदक को भुगतान श्रम कार्यालय सुनिश्चित करेंगे.

(फ) अन्य विवरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

(3) छात्रवृत्ति योजना :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के मेधावी पुत्र/पुत्रियों हेतु छात्रवृत्ति योजना 2010 होगा.

(ii) **परिवार की दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए पंजीकृत निर्माण कर्मकारों की ऐसी समस्त संताने जिन्होंने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई भी परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हों अथवा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो.**

(iii) प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एक मुश्त देय होगी.

क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कक्षा 1 से 5 तक	500	750
2.	कक्षा 6वीं से 8वीं	750	1,000
3.	9वीं से 12वीं	1,000	1,500
4.	स्नातक कक्षा जैसे बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम डिप्लोमा आदि.	1,500	2,000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि.	2,500	3,000
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर.	3,000	4,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी.एच.डी. या शोध कार्य करने पर.	4,000	5,000

(iv) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के कक्षा पहली से चौथी तक अध्ययनरत् सभी पुत्र/पुत्रियों को उपरोक्त तालिका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी तथा कक्षा 5वीं एवं उससे ऊपर की परीक्षाओं में किसी भी स्तर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हों, को छात्रवृत्ति के रूप में सहायता प्रदाय की जावेगी.

(ii) यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी.

(iii) ऐसा मेधावी छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय/विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकता है.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) योजना के अंतर्गत असंगठित पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख/प्राचार्य को प्रस्तुत किए जावेंगे.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) विद्यालय/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मामले में प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवार सूची (मण्डल द्वारा छात्र के पिता/माता को जारी परिचय पत्र क्रमांक उल्लेख करते हुए) संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे.

(ii) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा. सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव को होगा.

(ई) भुगतान की प्रक्रिया :—

(i) सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त सूची अनुशंसा पत्र सहित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को प्रेषित करेंगे.

(ii) इस अनुशंसा के आधार पर मण्डल द्वारा स्वीकृत राशि का एकाउन्ट पेयी चेक सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रेषित किया जावेगा.

(iii) संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा उक्त स्वीकृत राशि पात्र छात्रों को वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा.

(फ) अन्य विवरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

(4) मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिए मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना 2010 होगा.

(ii) पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की दशा में समान रूप से रुपये 25,000/- अनुग्रह राशि तथा रुपये 5,000 अंत्येष्टि सहायता राशि स्वीकृत की जावेगी.

(iii) सामान्य दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि सहायता नगद प्रदान की जायेगी. किन्तु अनुग्रह राशि एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा मण्डल की स्वीकृति पश्चात् प्रदान की जावेगी.

(iv) दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर 1,00,000/- रु. तथा अपंगता की स्थिति में 75,000/- रु. की राशि स्वीकृत की जावेगी. इस राशि की स्वीकृति करते समय दुर्घटना स्थल पर कार्य की पर्याप्त जांच तथा अपंगता का स्पष्ट प्रमाण लिया जावेगा.

(v) हितग्राही के गृह से काम पर जाने, कार्य अवधि तथा कार्य स्थल से गृह वापसी तक हुये किसी भी मृत्यु को दुर्घटना माना जावेगा.

(vi) ऐसे प्रकरण स्वीकृति के पूर्व सहमति हेतु संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को अनुमोदन के लिए संपूर्ण दस्तावेज के साथ भेजा जाना होगा.

(vii) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे.

(ii) निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए.

(iii) अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक द्रवों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने की उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक-दूसरे से हुई मार-पीट से हुई मृत्यु की स्थिति में प्रदान नहीं की जावेगी.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) उत्तराधिकारी की ओर से निर्माण श्रमिक की मृत्यु के तीन माह तक संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

(ii) आवेदन पत्र की जांच करने पर सही पाये जाने की स्थिति में संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुशंसा कर अनुग्रह राशि स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को प्रेषित किया जावेगा.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा रुपये 5,000/- अंत्येष्टि सहायता राशि तुरंत अथवा एक सप्ताह के अंदर नगद दिए जाने का अधिकार होगा.

(ii) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुग्रह राशि हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित किए गए आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव को होगा.

(ई) भुगतान की प्रक्रिया :—

(i) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा रुपये 5,000/- अंत्येष्टि सहायता राशि तुरंत अथवा एक सप्ताह के अंदर नगद दी जावेगी.

(ii) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुग्रह राशि हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित किए गए आवेदनों को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा स्वीकृत कर संबंधित श्रम कार्यालय को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जावेगा.

(iii) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा उक्त स्वीकृत अनुग्रह राशि हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी को प्रदान की जावेगी. हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नहीं होने पर पुत्र अथवा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियां, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नी या पुत्र/पुत्री न हो तो उनके माता/पिता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा. इन सबके नहीं होने पर ऐसा व्यक्ति जो उसके आश्रित हो, उत्तराधिकारी होगा, को राशि का भुगतान किया जावेगा.

(फ) अन्य विवरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 4-03-2010 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक 15.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16, रायपुर, दिनांक 04-03-2010 में हिताधिकरियों के बच्चों के लिए नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना में (अ) योजना का प्रावधान में (ii) (एक) निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जाता है :—

"नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ (छात्रवृत्ति इत्यादि) बालश्रम परियोजना में अध्ययनरत् समस्त बच्चों को भी उनके कक्षा के अनुरूप छात्रवृत्ति देय होगा."

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 06-06-2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक 16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16, रायपुर, दिनांक 04-03-2010 में हिताधिकरियों के लिए छात्रवृत्ति योजना में (अ) योजना का प्रावधान में निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जाता है :—

(अ) (ii) "कक्षा 9वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक की बाध्यता को समाप्त की जाती है."

(अ) (iii) (8) "आईटीआई एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रुपये 1,500/- छात्रों को एवं रुपये 2,000/- छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति देय होगा."

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 30-08-2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक 17.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

मुख्यमंत्री चलित झूलाघर योजना :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री चलित झूलाघर योजना, 2011" होगा.

(ii) (अ) योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे संस्थान जहां 500 से अधिक निर्माणी श्रमिक कार्यरत हैं, के लिए चलित झूलाघर पंजीकृत मण्डल द्वारा बनाया जावेगा.

(ब) ऐसे स्थान जहां पर निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक निवास करते हैं.

(iii) उक्त योजना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तसीगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा.

(iv) योजना के प्रावधान मंडल की बैठक दिनांक 04-08-2010 के बैठक में लिये निर्णय दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना का विवरण :—

(i) प्रत्येक झूलाघर के कार्यकर्ताओं को राज्य शासन श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिए घोषित न्यूनतम वेतन प्रतिमाह मानदेय देय होगा.

(ii) प्रत्येक झूलाघर के सहायिकाओं को राज्य शासन श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन प्रतिमाह मानदेय देय होगा.

(iii) प्रति झूलाघर पूरण पोषण (26 दिन के लिये) रुपये 07/- प्रति बालक/बालिका प्रतिदिन की दर से 25 बच्चों के लिए एक झूलाघर के लिए देय होगा.

(iv) आपात दवाईयां एवं आकस्मिक व्यय रुपये 500/- प्रतिमाह प्रति झूलाघर देय होगा.

(v) एक वर्ष के लिये रुपये 25,000/- (प्रत्येक नए झूलाघर को आरंभ में रुपये 25,000/-) तत्पश्चात् प्रतिवर्ष रुपये 5,000/- झूलाघर में बच्चों से संबंधित खिलौने एवं सामग्री के लिये प्रत्येक झूलाघर के लिए देय होगा.

(स) योजना हेतु पात्रता :—

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार स्थानीय सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को हो होगा.

(द) अन्य विरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 01-07-2011 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक 18.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत कार्ड योजना, 2012" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत रेलगाड़ियों में 150 कि.मी. तक दैनिक यात्रा करने के लिए पंजीकृत हितग्राहियों को इज्जत कार्ड (MST) मण्डल द्वारा रेल्वे के सहयोग से प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है.

(ii) आय प्रमाण पत्र—जिला कलेक्टर, सांसद (केन्द्रीय मंत्री) विशिष्ट परिस्थिति में डिवीजनल रेलवे मैनेजर, विधायक (उनके विधान सभा क्षेत्र के लिए केवल एक बार उपयोग होगा) द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र तथा बीपीएल कार्ड भी वैध होगा.

(iii) योजना का लाभ ऐसे पंजीकृत हितग्राही जिनकी मासिक आय 1,500/- तक की हो, को प्रदाय किया जावेगा.

(iv) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

(ii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जावेगा.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(ई) विसंगति का निराकरण :—

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 19-07-2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक/2012/19.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती है :—

(1) मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना, 2010 होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत 10,000 सायकल प्रतिवर्ष प्रदेश के पंजीकृत महिला निर्माणी श्रमिकों को प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) यह योजना निर्माणी महिला श्रमिक जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, को स्वयं के लिए निवास से कार्यस्थल पर जाने आने के लिए प्रदाय किया जावेगा.

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु समूह की हो.

(iii) मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना का लाभ न लिया हो.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में जमा किया जावे.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृत हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा.

(ii) सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव का होगा.

(ई) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

टीप :— यह अधिसूचना दिनांक 01-10-2010 **से** भूतलक्षीय प्रभाव से लागू होगा.

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक 20.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, रायपुर, दिनांक 01-10-2010 में हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :—

मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना :—

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु समूह की हो.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति किया जावेगा.

(ii) विलोपित

उपरोक्त अधिसूचना, दिनांक 25-11-2010 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक 21.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, रायपुर, दिनांक 25-11-2010 में हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, रायपुर, दिनांक 25-11-2010 मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंत:स्थापित करती है :—

मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना :—

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष आयु समूह की हो.

मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना :—

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 26 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह की हो.

उपरोक्त अधिसूचना, दिनांक 3-7-2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा.

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

सविता मिश्रा,
सचिव.